न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 41/2021

1. विकास पुत्र राजकुमार जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा। :–वादी

ब ना म

1. राजकुमार पुत्र रलदूराम जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
2. प्रवेश पुत्र राजकुमार जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
3. आईसीआईसीआई शाखा शेरडा जरिये शाखा प्रबंधक।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री खेताराम कस्वां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अमित देहडू की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मेहरिया के खाता सं0 28/26 के खसरा सं0 129 की 1.8720है0, खसरा सं0 177 की 2.0240है0, खसरा सं0 262 की 0.0510है0, खसरा सं0 263 की 0.8090है0, खसरा सं0 264 की 0.1520है0, खसरा सं0 279 की 0.1770है0, खसरा सं0 280 की 2.1500है0, खसरा सं0 281 की 0.8100है0 कुल 8.0450है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 राजकुमार के नाम 1/3 हिस्सा व रोही शेरडा के खाता सं0 182/173 के खसरा सं0 8 की 7.6640है0 बारानी खातदेारी प्रतिवादी सं0 1 राजकुमार के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है, में से अकेले राजकुमार के बजाए वादी 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 को 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 को 1/9 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी विकास व प्रतिवादी सं0 1 राजकुमार, प्रतिवादी सं0 2 प्रवेश कुमार को हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.6.21...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:19:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण [illegible]

प्रकरण सं0 : 41/2021

1. विकास पुत्र राजकुमार जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा। :-वादी

बनाम

1. राजकुमार पुत्र रलदूराम जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
2. प्रवेश पुत्र राजकुमार जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
3. आईसीआईसीआई शाखा शेरडा जरिये शाखा प्रबंधक।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री खेताराम कस्वां : वादी
वकील श्री अमित देहडु : प्रतिवादीगण

दिनांक : 29.06.21

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा मेहरिया के खाता सं0 28/26 के खसरा सं0 129 की 1.8720है0, खसरा सं0 177 की 2.0240है0, खसरा सं0 262 की 0.0510है0, खसरा सं0 263 की 0.8090है0, खसरा सं0 264 की 0.1520है0, खसरा सं0 279 की 0.1770है0, खसरा सं0 280 की 2.1500है0, खसरा सं0 281 की 0.8100है0 कुल 8.0450है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 राजकुमार के नाम 1/3 हिस्सा व रोही शेरडा के खाता सं0 182/173 के खसरा सं0 8 की 7.6640है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 राजकुमार के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता रलदूराम की खातेदारी हुआ करती थी। रलदूराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 राजकुमार ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 [illegible] को वकील वादी ने द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया [illegible] दावा पेश किया गया। तर्क अंकित किया। प्रतिवादी सं 4 स्टेट की [illegible] आवश्यकता नही प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा [illegible] है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:19:57 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु विकास पुत्र रा[illegible]र जाति जाट निवासी मेहरिया खाता सं0 28/26 प्रदर्श1, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही मेहरिया खाता बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम शेरडा संवत 2075-78 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मेहरिया संवत 2057-60 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही शेरडा संवत 2055-58 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत शेरडा प्रदर्श 5,प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पडता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने मेहरिया व शेरडा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 5 में वारिसप्रमाण पत्र में राजकुमार के दो पुत्र विकास व प्रवेश कुमार के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा मेहरिया के खाता सं0 28/26 के खसरा सं0 129 की 1.8720है0, खसरा सं0 177 की 2.0240है0, खसरा सं0 262 की 0.0510है0, खसरा सं0 263 की 0.8090है0, खसरा सं0 264 की 0.1520है0, खसरा सं0 279 की 0.1770है0, खसरा सं0 280 की 2.1500है0, खसरा सं0 281 की 0.8100है0 कुल 8.0450है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 राजकुमार के नाम 1/3 हिस्सा व रोही शेरडा के खाता सं0 182/173 के खसरा सं0 8 की 7.6640है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 राजकुमार के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से अकेले राजकुमार के बजाए वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मेहरिया के खाता सं0 28/26 के खसरा सं0 129 की 1.8720है0, खसरा सं0 177 की 2.0240है0, खसरा सं0 262 की 0.0510है0, खसरा सं0 263 की 0.8090है0, खसरा सं0 264 की 0.1520है0, खसरा सं0 279 की 0.1770है0, खसरा सं0 280 की 2.1500है0, खसरा सं0 281 की 0.8100है0 कुल 8.0450है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 राजकुमार के नाम 1/3 हिस्सा व रोही शेरडा के खाता सं0 182/173 के खसरा सं0 8 की 7.6640है0 बारानी खातदेारी दर्ज है, में से अकेले प्रतिवादी सं0 1 राजकुमार के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है, में से अकेले प्रतिवादी सं0 1 राजकुमार के बजाए वादी 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 को 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 को 1/9 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी विकास व प्रतिवादी सं0 1 राजकुमार, प्रतिवादी सं0 2 प्रवेश कुमार को हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर [illegible] करे। पर्चा डिक्री रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष [illegible] जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:19:57 IST
Reason: SelfAttested

सहाय(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner